SUMMARY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1898

In the Court of:-भारत सिंह कनेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चाचौडा जिला गुना म.प्र.

Case No SUM/**255/2023** Complaint or report made on **27-07-2023**

Name and address of the complaint..

राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र चाचौडा विरूद्ध इस्तेकार अहमद

Name parentage, cast and address of accused

इस्तेकार अहमद पिता जमील अहमद उम्र 34 वर्ष
निवासी ग्राम गिरधरपुर जिला बरेली उत्तर प्रदेश

The offence complained of and date of is allegeth complation

1— आप अभियुक्त ने दिनांक 27.07.2023 को समय रात्रि 00:45 बजे स्थान ब्यावरा से गुना तरफ को जाने वाले हाईवे ग्राम किरवाडा में लोकमार्ग पर अपने आधिपत्य का वाहन ट्रक क्रमांक यू.पी. 65 एफ.टी. 4349 को उतावलेपन या उपेक्षा से ट्रक क्रमांक पी.बी. 07 ए.बी. 4425 में टक्कर मारकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया है ?

ऐसा कर आप अभियुक्त ने वह अपराध किया है जो कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 279, के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जिसके विचारण की अधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त है।

एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि आपका विचारण उक्त अपराध के संबंध मे किया जावेगा।

भारत सिंह कनेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चाचौडा जिला गुना म.प्र.

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है।

भारत सिंह कनेल
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चाचौडा जिला गुना म.प्र.

---

the offence proved ,if any and in case under clause(d),clause (c) clause(i) of cluse (g) of cub-section 260, the value of the property in recpess of which the offence has been committed.

निर्णय

(आज दिनांक 03.08.2023 को पारित किया गया)

1— अभियोजन के अनुसार घटना संक्षेप मे यह है कि दिनांक 27.07.2023 को फरियादी शिवसिंह गुर्जर ने ट्रक कमांक पीबी 07 एबी 4425 पर ड्राईवरी करता है उक्त दिनांक 26.07.2023 को शाम करीबन 4—5 बजे सोम डिस्टलरीज एवं ब्रेवरीज, रायसेन से परमिट की बीयर ब्लैक फोर्ट कंपनी की 1600/—पेटी केन एवं बोतल की विदेश मदिरा भण्डार शिवपुरी की भरकर निकला था रात करीब 12:30 बजे जैसे ही वह जोगीपुरा टोलनाका निकलकर पैंची पहुंचने का हुआ तभी किरवाडा गांव पर क्लीनर साईड का पिछला टायर पंचर होकर ट्रक बैठ गया जिसका टायर बदलने के लिये अपने ट्रक को चलने की हालत में नहीं होने से रोड पर अपने लेन में खडा कर ब्रेक बत्ती आदि सुरक्षा प्रबंध कर टायर बदनले को हुआ तभी पीछ से आये एक ट्रक वाले ने अपने ट्रक को बडी तेजी व लापरवाही से चलाकर उसे ट्रक में पीछे टक्कर मार दी जिससे ट्रक में भरे माल बीयर की पेटियां एवं बॉडी आदि में नुकसान हो गया टक्कर मारने वाले ट्रक का नंबर यूपी 65 एफ.टी. 4349 था जिसमें भी आगे नुकसान हो गया। उक्त रिपोर्ट पर से थाना चाचौडा के अपराध कमांक 349/2023 धारा 279 भादसं का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र न्यायालय में विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

2— अभियोग पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के आधार पर मेरे द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 279 भा.द.सं. के अपराध के संबंध मे अपराध विवरण बनाये जाने के पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त धारा के संबंध मे संक्षिप्त प्रक्रिया के तहत अपराध विवरण बनाये जाकर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया गया। अभियुक्त का अभिवाक् उसी के शब्दो मे अंकित किया गया।

3— अभियुक्त को लंबित अपराध अंतर्गत भा0दं0सं0 की धारा 279 भा.द.सं. के तहत् दोष सिद्ध घोषित किया जाता है तथा प्रकरण की परिस्थिति एवं आहत को कारित क्षति को देखते हुए अभियुक्त को भा0दं0सं0 की धारा 279 भा.द.सं. में 1000/—रूपये के जुर्माने से दण्डित किया जाता है।

4— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रक कमांक यूपी 65 एफ.टी. 4349 आरोपी/उसके पंजीकृत स्वामी को सुपूर्दगी पर प्रदान किया जावे।

5— आरोपी को निर्णय की प्रति निःशुल्क प्रदाय की जावें।

निर्णय आज दिनांक को पारित,
हस्ताक्षरित दिनांकित किया गया।

(भारत सिंह कनेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चाचौडा जिला गुना (म.प्र.)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(भारत सिंह कनेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चाचौडा जिला गुना (म.प्र.)

BHARAT SINGH KANEL

Digitally signed by BHARAT SINGH KANEL
Date: 2023.08.03 16:47:41 +0530